कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28013/20–21/ दिनांकः 18.12.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा

विषयः– अवितरित साईकिलो के सम्बन्ध में ।
प्रसंगः– शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) राजस्थान जयपुर दिनांक 15.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रमुख शासन सचिव, जन जाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा राजकीय विद्यालयो का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान दो स्थानो पर अवितरित साईकिले मिली जो कि छात्राओं को वितरण की जानी थी । एक स्थान पर साईकिले इसलिए वितरित नहीं हुई कि अभिभावको द्वारा हाई–वे निकट होने के कारण छात्राओं को वे साईकिले नही चलाने देना चाहते । एक अन्य स्थान पर साईकिल इसलिए अवितरित रही क्योंकि जिन विद्यालयो को साईकिले लेनी थी वह संभावित परिवहन की लागत के चलते साईकिले उठाकर नहीं ले गये । निदेशालय द्वारा समय समय पर साईकिल वितरण के सम्बन्ध में जारी निर्देशो के अनुसार जिले की कोई भी पात्र छात्राऐं साईकिल वितरण से वंचित नहीं रहे । इस सम्बन्ध में आप द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जिले की कोई भी पात्र छात्रा साईकिल से वंचित नहीं है । जबकि प्रासंगिक पत्र के अनुसार छात्राओं को साईकिलो का वितरण नहीं किया गया है ।

शासन स्तर से इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है । अतः आप अपने जिले में आज दिनांक को कितनी साईकिल अवितरित है । क्या अवितरित साईकिले वास्तव में पात्र छात्राओ को वितरण नहीं किये जाने के कारण रही है तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण सहित सूचना निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्तुत करें :–

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवितरित साईकिलो की संख्या	अवितरित रहने का कारण	जिले की पात्र छात्राऐं जिनको साईकिले वितरण नहीं की गई है कि संख्या	पात्र छात्राओं को साईकिल वितरण नहीं किये जाने का कारण	विशेष विवरण
1						

आप द्वारा उपलब्ध कराई गई साईकिलो की मांग के अनुसार ही निदेशालय द्वारा फर्मो को साईकिलो की आपूर्ति के आदेश जारी किये गये थे । आपूर्ति आदेशो के अनुसार फर्मो द्वारा जिले के नोडल केन्द्रो पर साईकिलो की आपूर्ति की गई थी । मांग के अनुरूप ही साईकिले आपूर्ति होने के पश्चात् भी साईकिले शेष रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण उक्त सूचना के साथ 07 दिवस में प्रस्तुत करें । अन्यथा उच्चाधिकारियो को आपके विरूद्ध नियमानुसार सीसीए नियमो के तहत कार्यवाही हेतु लिखा जावेगा ।
(नोटः– साईकिलो की आपूर्ति वितीय वर्ष 2019–20 तक ही की गई है । वितीय वर्ष 2020–21 में साईकिलो की आपूर्ति नहीं की गई है ।)

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–
1. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1), शासन सचिवालय, जयपुर ।

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर